



Neutral Citation No. - 2026:AHC:58159

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट सी याचिका संख्या - 8299 वर्ष 2026

मनोज कुमार यादव

...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

...प्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: मुरली धर यादव, सोहन लाल यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 36

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता की बात सुनी गई।
2. याचिकाकर्ता ने निर्धारित प्राधिकारी/पुलिस अधीक्षक, जौनपुर के दिनांक 19.12.2025 के आदेश को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की है, जिसमें चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उनके आवेदन को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि उनके विरुद्ध अपराध संख्या 308/2024

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में बीएनएस की धारा 351(2), 352, 115(2) और 191(2) के तहत एक आपराधिक मामला लंबित है।

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का तर्क है कि आईपीसी की उपरोक्त धाराओं के तहत किसी आपराधिक मामले का लंबित होना मात्र चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने में बाधा नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने इस न्यायालय के दिनांक 28.5.2025 के डिवीजन बेंच के फैसले का हवाला दिया है, जो लखनऊ बेंच में रिट-सी संख्या 718/2025 और अन्य संबंधित याचिकाओं पर पारित किया गया था। इस फैसले में यह माना गया है कि किसी आपराधिक मामले के लंबित होने के कारण चरित्र प्रमाण पत्र को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि याचिकाकर्ता के खिलाफ उपलब्ध सामग्री, जैसे कि आपराधिक मामले का विवरण, कार्यवाही का चरण आदि का खुलासा करते हुए इसे जारी किया जाना चाहिए। उपरोक्त आदेश का प्रासंगिक भाग नीचे दिया गया है:-

2. दिनांक 26.05.2025 को हमने इन रिट याचिकाओं के समूह में निम्नलिखित आदेश पारित किया था:-

"याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ललित किशोर तिवारी और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष मिश्रा की बात सुनी गई। दिनांक 06.05.2025 के हमारे आदेश के उत्तर में, विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष मिश्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग में मामले पर विचार करने के लिए एक बैठक बुलाई गई थी। इस प्रक्रिया में यह पाया गया कि कई अन्य विभागों, जैसे राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग, उत्पाद शुल्क विभाग आदि, की राय की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका और कुछ उचित समय मांगा गया है।"

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मांगी गई समयावधि प्रदान की जाती है। हालांकि, हम पाते हैं कि ऐसे चरित्र प्रमाण पत्र विभिन्न उद्देश्यों जैसे व्यावसायिक गतिविधि, लाइसेंस प्राप्त करना, रोजगार आदि के लिए आवश्यक हैं। आपराधिक मामलों के लंबित होने के कारण, जिनमें कभी-कभी छोटे-मोटे अपराध भी शामिल होते हैं, आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाते हैं। हमारी राय में उचित तरीका यह है कि आपराधिक मामले की लंबितता, आरोपित अपराधों और कार्यवाही के चरण का उल्लेख करते हुए एक निर्धारित प्रारूप में निर्णय सूचित किया जाए, न कि कोई राय व्यक्त की जाए या यह कहा जाए, जैसा कि आमतौर पर किया जाता है कि "चरित्र प्रमाणित नहीं किया जा सकता है।" और यह कि उपरोक्त प्रारूप में प्रमाण पत्र संबंधित विभाग को प्रस्तुत किया जा सकता है, जो इस मामले में अपनी राय बना सकता है।

कुछ प्रमाणपत्रों में हमने पाया है कि आपराधिक मामले या मुकदमे की लंबितता का उल्लेख करने के बाद, यहाँ तक कि छोटे-मोटे अपराधों से संबंधित मामलों में भी, यह उल्लेख जोड़ा जाता है कि उक्त कारण से व्यक्ति के चरित्र को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। यह एक सामान्य उल्लेख है, जो सही नहीं है। अन्य मामलों में हमने पाया है कि चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन, उदाहरण के लिए जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष, जैसे कि लाइसेंस के लिए आवेदन किया गया हो या कोई व्यावसायिक गतिविधि जैसे अनुबंध आदि शुरू की जानी हो, तो कभी-कभी जिला मजिस्ट्रेट आपराधिक मामलों की लंबितता के कारण आवेदन को अस्वीकार कर देते हैं। यह भी हमारी राय में सही नहीं है। उचित यह है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध उपलब्ध सामग्री, अर्थात् आपराधिक मामलों का विवरण, कार्यवाही की स्थिति आदि का उल्लेख किया जाए और इसे संबंधित विभाग या आवेदक को प्रदान किया जाए। रोजगार प्रदान करने या लाइसेंस जारी करने वाले संबंधित विभाग को चरित्र प्रमाण पत्र में उल्लिखित विवरणों के आधार पर यह निर्णय लेना होगा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कि आवेदक को रोजगार दिया जाए या नहीं। उदाहरण के लिए, यदि याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 324 (भारतीय न्याय संहिता, 2023 की संबंधित धारा 115 और 118(1) के तहत) के तहत मामला जांच के लिए लंबित है, तो यह एक छोटा अपराध है और केवल एक बार की घटना के आधार पर क्या आवेदन खारिज कर दिया जाना चाहिए या क्या यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति के चरित्र को प्रमाणित नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब मामला केवल जांच के चरण में हो। यह निश्चित रूप से उस विभाग की आवश्यकता पर निर्भर करेगा जिसे आवेदक से गैर-आवेदन प्रमाण पत्र (एनओसी) चाहिए। कभी-कभी, कम सजा वाले अपराधों का समाज पर या उस गतिविधि या रोजगार के उद्देश्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है जिसके संदर्भ में चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जाता है, लेकिन यह सब संबंधित विभाग पर निर्भर करता है। कुछ प्रमाणपत्रों में हमने पाया है कि आपराधिक मामले या मुकदमे की लंबितता का उल्लेख करने के बाद, यहाँ तक कि छोटे-मोटे अपराधों से संबंधित मामलों में भी, यह उल्लेख जोड़ा जाता है कि उक्त कारण से व्यक्ति के चरित्र को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। यह एक सामान्य उल्लेख है, जो सही नहीं है। अन्य मामलों में हमने पाया है कि चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन, उदाहरण के लिए जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष, जैसे कि लाइसेंस के लिए आवेदन किया गया हो या कोई व्यावसायिक गतिविधि जैसे अनुबंध आदि शुरू की जानी हो, तो कभी-कभी जिला मजिस्ट्रेट आपराधिक मामलों की लंबितता के कारण आवेदन को अस्वीकार कर देते हैं। यह भी हमारी राय में सही नहीं है। उचित यह है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध उपलब्ध सामग्री, अर्थात् आपराधिक मामलों का विवरण, कार्यवाही की स्थिति आदि का उल्लेख किया जाए और इसे संबंधित विभाग या आवेदक को प्रदान किया जाए। रोजगार प्रदान करने या लाइसेंस जारी करने वाले संबंधित विभाग को चरित्र प्रमाण पत्र में उल्लिखित विवरणों के आधार पर यह निर्णय

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लेना होगा कि आवेदक को रोजगार दिया जाए या नहीं। उदाहरण के लिए, यदि याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 324 (भारतीय न्याय संहिता, 2023 की संबंधित धारा 115 और 118(1) के तहत) के तहत मामला जांच के लिए लंबित है, तो यह एक छोटा अपराध है और केवल एक बार की घटना के आधार पर क्या आवेदन खारिज कर दिया जाना चाहिए या क्या यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति के चरित्र को प्रमाणित नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब मामला केवल जांच के चरण में हो। यह निश्चित रूप से उस विभाग की आवश्यकता पर निर्भर करेगा जिसे आवेदक से गैर-आवेदन प्रमाण पत्र (एनओसी) चाहिए। कभी-कभी, कम सजा वाले अपराधों का समाज पर या उस गतिविधि या रोजगार के उद्देश्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है जिसके संदर्भ में चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जाता है, लेकिन यह सब संबंधित विभाग पर निर्भर करता है।

इस संदर्भ में हम अंबेडकर नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 11.12.2024 को जारी किए गए चरित्र प्रमाण पत्र का उल्लेख कर सकते हैं, जो रिट याचिका संख्या 4798/2025 में दायर किया गया था। हमारी राय में, प्रमाण पत्र का प्रारूप बिल्कुल उपयुक्त है। यह इस प्रकार है:-

गृह विभाग अगली बैठक में विचार के लिए इसे नमूने के रूप में ले सकता है। यह प्रमाणपत्र नियोक्ता या संबंधित विभाग को यह निर्णय लेने का अधिकार देता है कि इसमें उल्लिखित तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर लाइसेंस, व्यवसाय या रोजगार दिया जाना चाहिए या नहीं। इसमें कोई राय व्यक्त नहीं की गई है, क्योंकि किसी आपराधिक मामले का लंबित होना, विशेष रूप से छोटे-मोटे अपराध से संबंधित मामले का, किसी व्यक्ति के संपूर्ण चरित्र को नहीं दर्शाता है। यह एक व्यक्तिपरक राय है जिसे संबंधित विभाग द्वारा भेजा जा सकता है, जहां लाइसेंस के लिए आवेदन किया गया है या नियुक्ति मांगी गई है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्वोक्त निर्णय लिए जाने तक, हमारी राय है कि पुलिस अधिकारियों/जिला मजिस्ट्रेट को उपर्युक्त प्रारूप में प्रमाण पत्र जारी करने चाहिए, हालांकि यह राज्य सरकार द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय के अधीन होगा, जब तक कि किसी कानून में ऐसे चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कोई वैधानिक रूप से निर्धारित प्रारूप न हो। आवेदक के विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों का उल्लेख चरित्र प्रमाण पत्र में किया जाएगा और उनकी कार्यवाही की स्थिति बताई जाएगी, इससे अधिक कुछ नहीं। जब तक कि कोई अन्य सामग्री न हो जो संबंधित अधिकारी की राय को उचित ठहराती हो, उस स्थिति में भी राय व्यक्त की जा सकती है।

तदनुसार आदेश दिया गया है।

इस समय हमें सूचित किया गया है कि कई मामलों में चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन को अस्पष्ट आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है, जबकि अन्य मामलों में इसे आपराधिक मामलों के लंबित होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया है। इसलिए, उन्हें कुछ राहत प्रदान की जाए, अन्यथा उनके रोजगार या व्यावसायिक गतिविधि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस पहलू पर विचार करने के लिए, इस मामले को परसों यानी 28.05.2025 को नए सिरे से सूचीबद्ध/प्रस्तुत किया जाए।

53. इस मामले में पुलिस चरित्र सत्यापन रिपोर्ट दिनांक 18.04.2025 को पुलिस अधीक्षक, अंबेडकर नगर द्वारा प्रस्तुत की गई, केवल इसलिए अनुकूल नहीं है क्योंकि धारा 504, 506, 323 आईपीसी के तहत मामला संख्या 137/2023 का एक आपराधिक मामला लंबित है और 22.08.2023 को आरोप प्रस्तुत किया गया है, जिसके कारण चरित्र प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है क्योंकि इसकी सिफारिश नहीं की गई है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



54. दिनांक 26.05.2025 के आदेश में उल्लिखित प्रारूप पर और इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर एक प्रमाण पत्र जारी किया जाए।”

4. उपरोक्त तथ्यों और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय के मददेनजर, निर्धारित प्राधिकारी/पुलिस अधीक्षक, जौनपुर का दिनांक 19.12.2025 का आदेश निरस्त किया जाता है। निर्धारित प्राधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता के चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने के दावे पर रिट-सी संख्या 718/2025 में पारित निर्णय के आलोक में इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर पुनर्विचार करे।

5. उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, यह रिट याचिका स्वीकृत की जाती है।

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार)

20 मार्च 2026

अनिल

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।